विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

- इस योजना के अन्तर्गत 12वीं उत्तीर्ण (Polytechnic के लिए 10वीं) बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु 4 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य सरकार के द्वारा स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है।
- विद्यार्थियों को रहने, जीवन–यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्य–पुस्तक, पठन–लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000/– प्रतिवर्ष तथा तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000/– रुपये तक लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान है।
- आवेदन करने की तिथि को आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष निर्धारित है।
- प्रमुख तकनीकी, व्यवसायिक एवं सामान्य पाठयक्रम के अलावा Polytechnic एवं ITI पाठ्यक्रम के लिए भी उपलब्ध है।
- 4 प्रतिशत सरल ब्याज दर (महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों के लिए केवल 1 प्रतिशत)। Moratorium अवधि तक ब्याज देय नहीं अर्थात ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं ।
- ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सुविधापूर्ण। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया स्थगित (अधिकतम 3 वर्ष तक)। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का प्रावधान।
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म एवं आय–समूह प्राप्त कर सकते है। साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

नोट :– उपर्युक्त से संबंधित सूचना **MNSSBY Portal** एवं शिक्षा विभाग के **website - state.bihar.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

Email Id- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

पात्रता

आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो।

बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।

स्नातक स्तर के लिए आवेदक की आयु 25 वर्ष

स्नातकोत्तर स्तर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष

आवेदन करने के लिए वेबसाइट

https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in

पर विजिट करें ।

टोल फ्री नंबर - 1800 3456 444

बिहार सरकार

/iprdbihar @iprd_bihar

बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

"आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत"

बिहार के युवाओं एवं युवतियों के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

इस योजना के तहत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वी अथवा समतुल्य (पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम कि लिए 10वी) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों/युवाओं को उच्चतर शिक्षा हेतु अधिकतम 4 (चार) लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से (पुरुष को 4 प्रतिशत/महिला और दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर को 1 प्रतिशत के साधारण ब्याज दर पर) उपलब्ध करायी जाती है।

योजना का लाभ प्राप्त हेतु अहर्तायों एवं शर्तें

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हो, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है।
- आवेदक बिहार अथवा अन्य राज्य/केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्च शिक्षा हेतु नामांकन के लिए चयनित हो।
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 10वी (पॉलिटेकनिक हेतु) एवं 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा बी.ए./बी.एस.सी./आई.टी.आई डिप्लोमा/बी.एड/इंजीनियरिंग/एम.बी.बी.एस./प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जाती है।

आवश्यक कागजात

आवेदक के कागजात

- आधार कार्ड।
- मैट्रिक +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वी) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
- आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो।
- संस्थान में नामांकन का प्रमाण-पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणी)। (College)
- संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी (College)
- आवेदक का एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- आवासीय प्रमाण-पत्र बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण-पत्रों में से कोई एक।
- आधार कार्ड। (सह-आवेदक)
- यह आवेदक तथा माता/पिता/पति/अभिभावक (रक्त संबंधी) का एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

इस योजना के तहत 20 से 25 आयु वर्ष के 12वी उत्तीर्ण बेरोजगार युवा/युवती जो उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत नहीं हो अथवा उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किये हों, उन्हें रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 24 माह तक 1000/- प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

योजना का लाभ प्राप्त हेतु अहर्तायों एवं शर्तें

- बिहार राज्य से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं उतीर्ण हों।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो एवं उसके पास स्थरोजगार नहीं हों।
- आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी स्त्रोत (छात्रवृति भत्ता आदि) प्राप्त न हो।
- आवेदक को श्रम विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आवश्यक कागजात

- आवेदक का एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- 10वी तथा 12वी कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड।
- बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड सहित)।
- 12वी कक्षा का परित्याग प्रमाण-पत्र। (C.L.C/SLC/MLC)

कुशल युवा कार्यक्रम

इस योजना के तहत 15 से 33 (सामान्य वर्ग - 28 वर्ष, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग - 31 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति-33 वर्ष) आयु वर्ग के युवा/युवती जो 10वीं से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत/उपाधि प्राप्त कर चुके है, उन्हें भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं व्यवहार कौशल तथा 240 घंटे का बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

योजना का लाभ प्राप्त हेतु अहर्तायों एवं शर्तें

- बिहार से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं/समकक्ष उत्तीर्ण हो
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।

आवश्यक कागजात

- आवेदक का एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- 10वी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड।
- बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC) कोड सहित।

नोट-ऑनलाईन आवेदन हेतु जिला नियंत्रण एवं परामर्श केन्द्र भागलपुर में आकर निःशुल्क आवेदन कर सकते है।

कार्यालय का पता : जिला नियंत्रण एवं परामर्श केंद्र (DRCC) बरारी, भागलपुर (पॉलिटेक्निक कॉलेज के नजदीक) Email id-drcc.bgp1@gmail.com)

वेबसाईट/पोर्टल - www.7nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in

TOLL FREE HELP LINE NO. - 1800 3456 444

* DRCC, भागलपुर में तीनों योजनाओं से सम्बंधित सभी सुविधाऐं मुफ्त है।